विभिन्न सेवा संवर्ग संघर्ष समिति

1 बिहार प्रशासनिक सेवा संघ
2 बिहार पुलिस सर्विस एसोसियेशन
3 बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ
4 बिहार अभियंत्रण सेवा संघ
5 बिहार वित्त सेवा संघ
6 बिहार पशुपालन सर्विस एसोसियेशन
7 बिहार पुलिस एसोशियेसन
8 बिहार योजना एवं विकास सेवा संघ
9 बिहार सचिवालय सेवा संघ
10 बिहार पुलिस मेन्स एसोशियेसन
11 बिहार लेखा सेवा संघ
12 बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संघ
13 बिहार प्रदेश फार्मेसी शिक्षक संघ
14 बिहार कृषि सेवा संघ
15 बिहार सांख्यिकी सेवा संघ
16 बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संघ
17 बिहार आशुलिपिक सेवा संघ

पत्रांक :– 52

दिनांक :– 8/6/2015

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार सरकार।

विषय :– प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक हटाने के संबंध में।

महाशय,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या–61/2002 एम0 नागराज एवं अन्य बनाम् भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 19.10.2006 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक–11635 दिनांक 21.08.2012 द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण की सुविधा परिणामी वरीयता के साथ अगले आदेश तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। इस संकल्प के विरूद्ध सुशील कुमार सिंह व अन्य के द्वारा समादेशवाद संख्या–19114/2012 दायर किया गया जिसमें दिनांक 05.08.2014 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त संकल्प पर रोक लगा दी जिसके बाद सामान्य प्रशासन ने ज्ञा0 2012 दिनांक 12.08.2014 द्वारा राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक लगायी गई।

इस मामले में दिनांक 04.05.2015 को माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद सरकार के द्वारा दिनांक 12.08.2014 को प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही पर रोक न तो हटाई गई है और न ही प्रोन्नति देने की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है बल्कि सरकार के द्वारा LPA दायर की गई है। जबकि इस आदेश आने के पूर्व महाधिवक्ता की राय "आदेश आने का इन्तजार किया जाए" पर कोई विचार नहीं किया गया, जिसकी सुनवाई दिनांक 21.05.2015 को हुई तथा पुनः सुनवाई दिनांक 30.06.2015 को होगी। किसी न्यायालय का जो भी निर्णय होता है विक्षुब्ध वादी/परिवादी उच्चतर न्यायालय में जाता है यह एक कानूनी प्रक्रिया है। जिसके फलाफल का कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है।

प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक माननीय उच्च न्यायालय का आदेश नहीं है। प्रोन्नति बाधित करना न्यायोचित नहीं है सरकार का दायित्व कि इसका न्यायोचित रास्ता निकालकर प्रोन्नति समिति की बैठक पर लगायी रोक को हटाते हेतु प्रोन्नति का रास्ता प्रशस्त करे। प्रोन्नति समिति की

बैठक नहीं होने से अनुजाति/जनजाति के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ग के कर्मचारी/पदाधिकारी का प्रोन्नति बाधित हो गया है। कर्मचारी/पदाधिकारी सवेानिवृत्त हो रहे है उन्हें पेंशन की राशि का नुकसान हो रहा है। कर्मचारी/पदाधिकारी का मनोबल गिरता जा रहा है। विभिन्न पदों पर रिक्तियों बढ़ती जा रही है जिसका असर सरकारी कामकाज पर पड़ रहा है। हम सेवा संवर्ग का आन्दोलन का मकसद कोई नई मांग नहीं है बल्कि सरकार के बनाये गये प्रावधान के तहत प्रोन्नति देने पर लगाई गई रोक को हटाने के लिए है।

उपरोक्त के संदर्भ में 17 सेवा संवर्ग की बैठक दिनांक 29.03.215, 12.04.2015, 26.04.2015, 04.05.2015 एवं 17.05.2015 को हुई। भवदीय से सभी सेवा संवर्ग को एक साथ वार्त्ता करने हेतु समय की मांग की गई। इस हेतु पत्रांक–10 दिनांक 31.03.2015, पत्रांक–14 दिनांक 15.04.2015, पत्रांक–27 दिनांक 28.04.2015 एवं पत्रांक 47 दिनांक 03.06.2015 को पत्र दिया गया। दिनांक 13.05.2015 को मुख्य सचिव को आन्दोलन करने की सूचना दी गई। दिनांक 18.05.2015 को भवदीय को आन्दोलन के स्वरूप से अवगत कराया गया। लेकिन सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं की गई। जिस कारण दिनांक 29.05.2015 को काला बिल्ला लगाकर वर्णित सेवा संवर्ग के पदाधिकारी/कर्मचारी जिलों से लेकर सचिवालय तक सरकार के कार्य का निष्पादन किया गया। इसी संदर्भ में दिनांक 07.06.2015 को बिहार प्रशासनिक सेवा संघ भवन (इन्कम टैक्स गोलम्बर) के रिक्त परिसर में राज्यस्तरीय एक दिवसीय उपवास/धरना का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें उपरोक्त वर्णित सेवा संवर्ग के पदाधिकारी/कर्मचारी ने भाग लिया। जिसमें सभी संवर्गों की राय बनी कि सरकार के द्वारा प्रोन्नति समिति पर रोक हटा कर प्रोन्नति का रास्ता प्रशस्त नहीं करती है, तो हड़ताल की जाय। हम सभी संवर्ग यह नहीं चाहते है कि हड़ताल के कारण सरकार का कामकाज प्रभावित हो तथा आमजनों को परेशानी हो। इस कारण वर्णित सेवा संवर्ग का अनुरोध है कि एक सप्ताह के अन्दर प्रोन्नति समिति पर रोक हटाते हुए प्रोन्नति समिति की बैठक करने का रास्ता प्रशस्त करने की कृपा की जाए ताकि संभावित हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति में आम नागरिकों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। हम यह समझते है कि सरकारी कर्मी एवं सरकार दोनों का ही दायित्व है कि इस प्रकार के प्रतिकूल परिस्थिति को उत्पन्न होने की संभावना से बचा जाए।

ह0/–	ह0/–
(सुशील कुमार)	**(सुरेश कुमार शर्मा)**
संयोजक	अध्यक्ष
सेवा संवर्ग संघर्ष समिति	सेवा संवर्ग समिति

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(सुशील कुमार)
संयोजक

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष/सचिव सभी जिला इकाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
संयोजक

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष/महासचिव/महामंत्री/सचिव उपरोक्त सेवा संवर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
संयोजक